



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1200

मद/FOR ITEM: सिग्नल मॉनिटरिंग यूनिट एसटीए / 2.316.902
Signal Monitoring Unit STA/2.316-002

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स काल्सी मैक्रोमेशरमेन्ट एण्ड इन्स्ट्रुमेण्टेशन प्राईवेट लिमिटेड, के 35, सैट III, पंकी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर - 208022, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सिग्नल मॉनिटरिंग यूनिट" पार्ट सं.एसटीए 2.316 002 को एएन 32 वायुयान में उपयोग में आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है ! इसे आरसीएमए, कानपुर, के समन्वय स टेस्ट शेड्यूल सं.सीआरई 59 15 टेक दिनांक 22.9.1997 के अनुसार परीक्षित किया गया है ! यह पदार्थ परिशिष्ट 'ए' में संलग्नक "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट" में विवरित टेस्ट शेड्यूल की आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है ।

This is to certify that the "Signal Monitoring Unit" bearing the Part No. STA/2.316-002, developed and manufactured by M/s Kalsi Micromasurement & Instrumentation Pvt Ltd, K-35, Site III, Panki Industrial Area, Kanpur-208022, is hereby approved for production for use in AN-32 aircraft. It has been tested as per test schedule No. CRE/59/15/TECH dated 22.9.1997, in co-ordination with RCMA (Kanpur). The product has met the requirements of the test schedule as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

F-100
A
D
C
B
D

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

The Provisional Clearances accorded to the product shall stand cancelled after the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2010 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कानपुर), द्वारा एचएएल कानपुर प्रभाग, कानपुर 208 008 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA(Kanpur), C/o HAL Kanpur Division, Kanpur-208 008, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1200

दिनांक/Date : 21 जूला 2006

फैक्स सं/Fax No : 080-5230856

5/4/06
21/4/06
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)